<u>न्यायालय—अमनदीपसिंह छाबड़ा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर</u> <u>जिला बालाघाट म.प्र.</u>

<u>व्यवहार वाद क.—102ए / 2014</u> <u>संस्थित दिनांक—09.10.2014</u> फा.नंबर—234503008022014

- 1.ब्रजलाल पिता स्व0 नवलसिंह, आयु-58 साल,
- 2.मैनेजर पिता स्व0 नवलसिंह आयु 54 साल,
- 3.खजानसिह पिता स्व0 नवलसिंह आयु 52 साल,
- 4.श्यामसिंह पिता स्व0 संपतसिंह आयु 20 साल सभी जाति गोंड निवासी केवलारी तहसील बैहर जिला बालाघाट।
- 5.बसन्तीबाई पति बुधराम आयु 30 साल,
- 6.कांतिबाई पति सुरपसिंह आयु 23 साल,
- 7.शांतिबाई पति जगनसिंह आयु 27 साल, सभी जाति गोंड साकिन भारी तहसील बैहर जिला बालाघाट।

🤼...वादीगण

ः विरुद्ध ः

- 1.गन्नोबाई पति स्व० नाजरसिंह, आयु ७० साल, साकिन केवलारी
- 2.सुखचैन पिता स्व0 नाजरसिंह, आयु 35 साल, साकिन केवलारी,
- 3.तिवारी पिता स्व० नाजरसिंह, आयु 24 साल, 7
- 4.सुननीबाई पिता स्व0 नाजरसिंह, आयु 40 साल, साकिन त्रिपुर, परसवाड़ा
- 5. लीलावती पिता स्व0 नाजरसिंह, आयु 38 साल, साकिन उकवा(गुदमा),
- **6.**फूलवतबाई पिता स्व० नाजरसिंह, आयु 36 साल, साकिन रिधवाटोला(मलाजखंड)
- 7. उर्मिलाबाई पिता स्व0 नाजरसिंह, आयु 34 साल,
- 8.सुन्नुसिंह पिता स्व० मेहतापसिंह आयु ३९ साल, (मृत)
- 9. उदेसिंह पिता स्व0 मेहतापसिंह आयु 37 साल, (मृत)
- 10.मुन्नीबाई पित स्व0 मेहतापसिंह सभी जाति गोंड,

निवासी केवलारी तहसील बैहर जिला बालाघाट।

- 11.म.प्र. राज्य तर्फे श्रीमान कलेक्टर महोदय, बालाघाट।
- 12.सुनील आयु 34 साल पिता सुन्नुसिंह जाति गोंड,

निवासी ग्राम गोवारी पोस्ट मण्डई तहसील बिरसा जिला बालाघाट,

- 13. दुजियाबाई उर्फ निर्मला आयु 32 साल पिता सुन्नुसिंह जाति गोंड,
- 14. तिजियाबाई आयु 30 साल पिता सुन्नुसिंह जाति गोंड,

निवासी ग्राम गोवारी पोस्ट मण्डई तहसील बिरसा जिला बालाघाट।

.....प्रतिवादीगण

:: <u>निर्णय</u> ::

(<mark>आज दिनांक-30 / 10 / 2017 को घोषित किया गया</mark>)

- 01— यह वाद वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 5 रकबा 22.00 एकड मौजा केवलारी प.ह.नं.20, रा.नि.मं. बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट के विषय में हक घोषणार्थ, संशोधन क्रमांक 10/25 दिनांक 17.07.1998 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 02- प्रकरण में यह स्वीकृत है कि उभयपक्ष गोंड जाति के हैं, जिन्हें हिन्दू विधि लागू नहीं होती और मंगलोबाई के नरबद से रिश्ते के अतिरिक्त वादपत्र में दर्शित वंश वृक्ष सत्य है।
- 03— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के पिता नवलसिंह की माता मंगलोबाई द्वारा पाठ विवाह नरबद वल्द पुसु से करने के उपरांत वादीगण के पिता नवलसिंह को प्राप्त हुई भूमि ग्राम केवलारी, प.ह.नं.20 रा.नि.म. बैहर जिला बालाघाट में वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 5 रकबा 22.00 एकड़ स्थित है। वादीगण के पिता नवलसिंह की माता मंगलोबाई के पित सुखलाल की मृत्यु नवलसिंह के एक वर्ष की आयु में हो गई थी। सुखलाल की मृत्यु के बाद सुखलाल की कब्जे व कास्त की वादग्रस्त भूमि की देख—रेख करने के लिये कोई अन्य वारसान सक्षम नहीं थे तथा वादीगण के पिता नवलसिंह की माता मंगलोबाई अकेली महिला होने से वादग्रस्त भूमि पर कास्त व कमाने तथा

नवलिसंह की परविश्व करने में असमर्थ थी, जिस कारण ग्राम जैरासी निवासी नरबद पिता पुसु से मंगलोबाई का पाठ विवाह कर दिया गया और उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 5 रकबा 22.00 एकड़ भूमि को नरबद तथा मंगलोबाई द्वारा मिलकर कास्त किया जाता रहा तथा नरबद व मंगलोबाई को पाठ विवाह से कोई संतान नहीं होने से नवलिसंह को ही अपने पुत्र की भांति पाला—पोसा गया।

🍂 नवलसिंह का विवाह सुखीबाई से संपन्न हुआ, नरबदसिंह की 04-वृद्धावस्था में सेवा-जाप्ता पिता की भांति नवलसिंह ने किया तथा नरबदसिंह के फौत होने पर कियाकर्म भी किया, जिसमें मुंडन का कार्य मेहताप के साथ करवाया मिहताप भूमिहीन व्यक्ति था, जिसे मुंडन कार्य में भाग लेने के कारण ग्राम केवलारी के पंचों के समक्ष नवलिसंह द्वारा 50 डिसमिल भूमि कास्त करने हेतू दी थी। नवलसिंह का विवाह सुखीबाई से होने से वादीगण क्रमांक 01 से 07 के पिता सम्पत का जन्म हुआ था, जिनका पालन-पोशण नवलसिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि को कास्त कब्जे में रखकर किया जाता रहा, परंतु वादीगण के पिता नवलसिंह द्वारा जो कि अनपढ़ व अषिक्षित थे, ने नरबंद की मृत्यु उपरांत राजस्व अभिलेखों में फौती उपरांत स्वयं का नाम दर्ज नहीं करवाया गया। वादीगण के पिता नवलसिंह की वादीगण की बाल्यावस्था में सन् 1983 में मृत्यु हो गई तथा वादीगण व प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 07 तक के पिता व माता सुखीबाई द्वारा वादग्रस्त भूमि को कास्त कब्जे में रखकर जीवन यापन किया जाता रहा तथा वादीगण के बालिग होने पर वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कास्त व कब्जा रखा गया है। वादीगण के पिता नवलसिंह द्वारा नरबद की मृत्यु होने के उपरांत वादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में से नरबद की फौती दाखिला कर नामांतरण नहीं करवाने के कारण तथा नवलसिंह की सन् 1983 में मृत्यु होने से प्रतिवादी क्रमांक 01 से 07 के पिता व पति तथा प्रतिवादी क्रमांक 08 से 10 तक के पिता द्वारा गांव के चालाक चुस्त व्यक्ति के साथ मिलकर वादीगण से चोरी छिपे संपूर्ण भूमि को हड़पने की नियत से राजस्व कर्मचारियों

से मिलकर अपना नाम दर्ज करवा लिया, जो कि वादीगण पर बंधनकारक नहीं है।

- 05— वादीगण वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी कमांक 9 एवं 10 के पिता मेहताप की मृत्यु के उपरांत प्रतिवादी कमांक 8, 9 एवं 10 की माता का नाम संशोधन पंजी कमांक 10/25 दिनांक 02.03.2004 के अनुसार वादीगण की बिना जानकारी के चौरी छिपे दर्ज करवा लिया गया है। उसके बाद प्रतिवादीगण कमांक 8, 9 एवं 10 की माता भद्दोबाई की मृत्यु हो जाने के उपरांत संशोधन पंजी कमांक 25/26 दिनांक 17.07.98 के अनुसार प्रतिवादीगण कमांक 8, 9 एवं 10 का नाम वादीगण की जानकारी के अभाव में दर्ज किया गया है, जो कि धोखा—धड़ी एवं विधि—विरुद्ध रूप से किया गया है। वादीगण अपने पिता नवलसिंह के फौत होने के पूर्व से ही अपनी माता सुखीबाई के साथ वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य में हाथ बटाते थे, जिनसे विवाह उपरांत उक्त भूमि को वादीगण की माता सुखीबाई द्वारा नवलसिंह से प्राप्त भूमि को मौके पर पारिवारिक तौर पर बंटवारा कर कमाने खाने के लिये उनको पिता से प्राप्त होने वाले हक के कारण दी गई, जिसे वादीगण वर्तमान तक कब्जे व कास्त में रखकर अपने परिवार का पालन—पोषण करते चले आ रहे है।
- 06— हर वर्ष की तरह इस साल भी वादीगण द्वारा खेत सुधार कार्य करने के लिये मिट्टी डलवाई जा रही थी, तब प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 03.02. 2014 को वादीगण को मना करते हुए कहा गया कि उक्त भूमि उनके नाम पर दर्ज है और उनका कोई हक नहीं है, जिसके चलते वादीगण द्वारा हल्का पटवारी के समक्ष जाकर उक्त भूमि का रिकार्ड देखा गया, तब राजस्व प्रलेखों में खसरे में प्रतिवादीगण का ही नाम होने पर वादीगण द्वारा भूमि का समस्त रिकार्ड की नकल प्राप्त कर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया, तब वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कथनों की जानकारी प्राप्त

हुई, जिसमें हक घोषणार्थ पाने तथा संशोधन पंजी कमांक 10/26 दिनांक 10. 07.1998 व संशोधन पंजी कमांक 10/25 दिनांक 02.03.1994 तथा प्रतिवादीगण कमांक 8, 9 एवं 10 की माता भददोबाई की मृत्यु होने से संषोधन कमांक 10/26 दिनांक 17.07.98 के अनुसार प्रतिवादीगण कमांक 8, 9 एवं 10 के अनुसार वादीगण की बिना जानकारी के चोरी छिपे नाम दर्ज किया गया है, जो कि अवैध एवं शून्य होकर बादीगण पर बंधनकारी नहीं है। अतः वादीगण के कब्जे व कास्त की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 5 रकबा 22.00 एकड़ मौजा केवलारी प.इ.नं.20 तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व प्रलेखों से खारिज कर वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के हक कि घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा तथा संशोधन पंजी कमांक 10/25 दिनांक 02. 09.94 एवं संशोधन पंजी कमांक 10/26 दिनांक 17.07.98 के प्रभावशून्य होने की आज्ञप्ति प्रदान की जावे।

07— स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त, वादीगण के अभिवचनों का प्रत्याख्यान कर अपने जवाब में प्रतिवादी कमांक 01 से 07 तथा 10 तथा 12 से 14 ने यह कहा है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 5 रकता 22.00 एकड़ मौजा केवलारी, प.ह.नं.20, रा.नि.मं. व तहसील बैहर जिला बालाघाट में स्थित है, जो नरबद पिता पुसू की स्व—अर्जित भूमि थी। नरबद वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खानदान का सदस्य नहीं था। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कोई हक मालिकी, कब्जा व कास्त विरासतन हक एवं गैर विरासतन हक के नहीं रहा है। प्रकरण में वाद पत्र की कंडिका कमांक 02 में दर्शाये गये मूल पुरूष सुखलाल की पत्नी मंगलोबाई थी, जो कि सुखलाल की मृत्यु होने के पश्चात अपने पुत्र नवलसिंह के साथ रही, तब नवलसिंह लगभग 14—15 वर्ष का था, तब मंगलोबाई नरबदसिंह के घर मजदूरी का कार्य करने लगी तथा नरबद ला—औलाद था तथा उसकी कोई पत्नी नहीं थी, इसलिये उसके मंगलोबाई से अवैध संबंध हो गये। नवलसिंह ने स्वयं अपना विवाह सुखीबाई से संपन्न किया, जिससे पहला पुत्र नाजरसिंह उत्पन्न हुआ। मंगलोबाई का विवाह एवं पाठ शादी

नरबदिसंह से हिन्दू विधि और गोंडी प्रथा के अनुसार नहीं हुई थी तथा नरबदिसंह ला—औलाद फौत हुआ था, इसिलये मंगलोबाई के संबंधों के कारण उसने प्रतिवादी क्रमांक 01 के पित व प्रतिवादी क्रमांक 01 से 07 के पिता नाजरिसंह जब दो साल के थे, तब नरबदिसंह ने नवलिसंह की सहमित से नाजरिसंह को पाल—पोस नरबदिसंह अपनी सेवा—जाप्ता एवं अपनी संपत्ति की सुरक्षा हेतु रखा था तथा नाजरिसंह की परविरश एवं पालन—पोषण नरबदिसंह द्वारा किया गया।

08— नाजरसिंह के बालिग होने पर नाजरसिंह का विवाह भी नरबदिसेंह द्वारा किया गया तथा नाजरसिंह बालिग होने पर वादग्रस्त भूमि पर नरबदिसेंह के साथ कास्त करता था तथा नरबदिसेंह के वृद्ध होने पर नाजरसिंह स्वयं वादग्रस्त भूमि पर कास्त कर नरबदिसेंह एवं अपने परिवार का भरण—पोषण करता था। नवलसिंह ने नाजरसिंह का बाल पोस किया था, जिसे नरबदिसेंह से स्वीकार किया था, इसलिये नरबदिसेंह के फौत होने पर उसका काज किया जाति रीति रिवाज अनुसार अपने सिर का बाल देकर एवं मेहतापिसिंह जो कि नरबदिसेंह का सगा भतीजा था, ने संपन्न किया। नरबदिसेंह की मृत्यु पश्चात वादीगण की जानकारी में वादग्रस्त भूमि पर बाल पोस पुत्र वारिस नाजरसिंह एवं नरूदका भतीजा वारिस मेहतापिसेंह का नाम फौती दाखिला में संपन्न हुआ और मेहतापिसिंह की मृत्यु उपरांत उसकी पत्नी भद्दोबाई एवं मृतक प्रतिवादी सुन्नूसिंह, उदयसिंह, सुन्नीबाई, सन्नीबाई का नाम फौती दाखिला में नाजरसिंह के साथ शमिल—शरीक दर्ज हुआ। नाजरसिंह के फौत होने से उसके वारसान प्रतिवादी कमांक 01 से 07 एवं गुन्नीबाई दर्ज हुआ।

09— वादीगण द्वारा असत्य आधारों पर प्रतिवादीगण के हक व हिस्से को हड़पने की नियत से यह बाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वादीगण ने 860/— रुपये स्टांप चस्पा किया है, जो विधि—विरूद्ध है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण एवं उनके पिता नाजरिसंह तथा मेहतापिसिंह एवं मेहतापिसिंह के वारसान का कास्त कब्जा लगभग 40 सालों से वादीगण की जानकारी में शांतिपूर्ण कब्जा चले आने से यदि वादीगण का किसी प्रकार हक भी रहा हो तो विरोधी आधिपत्य के आधार पर प्रतिवादीगण का हक परिपक्व होने से एवं लंबे से से कास्त कब्जे में होने तथा विरासतन हक से कब्जे में होने के कारण प्रतिवादीगण मात्र वादग्रस्त भूमि के वैध अधिकारी एवं कब्जेधारी है। नरबदिसंह की मृत्यु उपरांत वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर नामांतरण हेतु कोई कार्यवाही किसी भी न्यायालय में नहीं की गई है। गोंडी प्रथा के अनुसार बाल पोस लेने वाले व्यक्ति का वैध पुत्र के समान चल—अचल संपत्ति पर बाल पोस का अधिकार होता है, इसलिये उपरोक्त भूमि पर एक मात्र नाजरिसंह एवं भतीजा मेहतापिसंह का नाम दर्ज हुआ। वादीगण वादग्रस्त भूमि पर हक प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किया जावे।

10— उभयपक्ष के अभिवचनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है, जिनके सम्मुख विवेचना उपरांत मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

कमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादग्रस्त संपत्ति खसरा नंबर 5	प्रमाणित नहीं
	रकबा 22.00 एकड़ मौजा केवलारी,	
	प.ह.नं.20 रा.नि.मं. बैहर जिला बालाघाट	
	वादीगण की पैतृक संपत्ति है ?	
2.	क्या वादग्रस्त संपत्ति पर वादीगण का	प्रमाणित नहीं
	स्वामित्व है ?	
3.	क्या प्रतिवादीगण का वादग्रस्त संपत्ति पर	
	खुले रूप से लगातार 12 वर्ष से अधिक	
	समय से अबाध शांतिपूर्ण, वादीगण की	प्रमाणित नहीं
	जानकारी में उनके स्वत्वों को नकारते हुए	
	आधिपत्य चला आ रहा है ?	
	(10)	

4.	क्या उभयपक्ष गोंडी प्रथा से शासित होते	प्रमाणित
	き?	
5.	क्या वाद अवधि बाह्य है ?	प्रमाणित
6.	क्या वाद अनुचित मूल्यांकन के कारण	प्रमाणित नहीं
	पोषणीय नहीं है ?	
7.	सहायता एवं व्यय ?	कंडिका क्रमांक 25 के
		अनुसार वाद निरस्त।

विवाद्यक प्रश्न क्मांक-05 का निष्कर्ष

वादीगण के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 5 रकबा 22 एकड़ पर उनके द्वारा पिता नवलसिंह की मृत्यु के पूर्व से ही कृषि कार्य किया जा रहा है और दिनांक 03.02.2014 को प्रतिवादीगण द्वारा मना करने पर राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर उन्हें जानकारी हुई कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है, जिसके पश्चात उनके द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी साक्षीगण मैनेजर वा.सा.01, ब्रजलाल वा.सा.02 तथा खजानसिंह वा.सा.03 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में उक्त संबंध में कथन किये है। जबकि प्रतिवादीगण के अनुसार नरबदसिंह की वर्ष 1972-73 में मृत्यु होने के 40 वर्ष बाद वादीगण द्वारा अवधि बाधित वाद प्रस्तुत किया गया है, जो कि वादीगण की जानकारी में ही प्रतिवादीगण का नाम वादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुआ। उक्त अभिवचनों के समर्थन में प्रतिवादी सुखचैन प्र.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किये हैं। प्रकरण में वादीगण मैनेजर वा.सा.01, ब्रजलाल वा.सा.02 तथा खजानसिंह वा.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि नवलसिंह की मृत्यु पश्चात उसकी भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का नाम सामान्य रूप से दर्ज हुआ तथा बंटवारा पश्चात वर्तमान में सभी अपने—अपने हिस्से पर काबिज है। उक्त वादीगण ने यह भी स्वीकार किया है कि उनके द्वारा अपने हिस्से की जमीन का लगान पटाया जाता रहा है। 🌄

12— वादीगण का उक्त आचरण ही यह दर्शित करता है कि उन्हें वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होने की पूर्व से जानकारी थी, क्योंकि यह संभव प्रतीत नहीं होता कि वर्ष 2005 में नवलिसंह की मृत्यु के पश्चात वादीगण द्वारा मात्र नवलिसंह की संपत्ति के संबंध में नामांतरण की कार्यवाही की गई हो और अधिकार होने के बावजूद नरबदिसंह की संपत्ति के संबंध में गलतफहमी होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई हो। अविध बाह्य होने के तथ्य को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था कि वादीगण को उक्त संबंध में पूर्व से जानकारी थी और उनके द्वारा वादी साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में उक्त संबंध में तथ्य प्रकट किये गये हैं। जबिक वादीगण द्वारा ऐसी कोई विशिष्ट साक्ष्य नहीं दी गई है। अपने अभिवचनों के संबंध में प्रतिवादीगण के कथन विश्वसनीय प्रतीत होते हैं, जिससे वाद परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 64 के अंतर्गत निर्धारित अविध में प्रस्तुत नहीं होना सिद्ध होता है। फलतः विवाद्यक प्रश्न कमांक—05 का निष्कर्ष प्रमाणित के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न कमांक-06 का निष्कर्ष:-

13— वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर हक घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा एवं संशोधन दिनांक 02.03.94 एवं 10.07.98 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने हेतु मूल्यांकन 1000/— रूपये पर 500/— रूपये एवं 3000/— रूपये पर वांछित न्यायालय शुल्क 1620/— रूपये चस्पा किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण द्वारा पर्याप्त वांछित शुल्क चस्पा नहीं किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा उक्त संबंध में कोई विशिष्ट तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है और ना ही वादी साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य लाये गये है। प्रकरण के अवलोकन से वादीगण द्वारा न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा—7(iv)(c) के अनुसार उचित न्यायालय शुल्क चस्पा किया जाना प्रतीत होता है। फलतः विवाद्यक प्रश्न क्रमांक—06 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न कमांक-04 का निष्कर्ष:-

14— प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा निर्विवाद रूप से कथन किये गये हैं कि वह गोंडी प्रथा से शासित होते हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा—2(2) यह उपबंध करती है कि उक्त अधिनियम अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा, जब तक कि केन्द्र सरकार द्वारा उक्त संबंध में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की जाये। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मधुकिश्वर विरूद्ध बिहार राज्य एवं अन्य ए.आई.आर.1996 एस.सी.1864 में यह प्रतिपादित किया गया है कि उत्तराधिकार अधिनियम प्रथा से शासित होने वाली जनजातियों पर लागू नहीं होता है। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 पक्षकारों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि गोंड जनजाति के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है तथा उभयपक्ष द्वारा भी यह स्वीकृत किया गया है कि वह गोंडी प्रथा से शासित होते हैं, जिससे विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 04 प्रमाणित के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न कमांक-01 एवं 02

वादी मैनेजर वा.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ में कथन किया है कि उसके पिता नवलसिंह की माता मंगलोबाई के पित सुखलाल की मृत्यु नवलसिंह के एक वर्ष की आयु में हो चुकी थी। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 5 रकबा 22 एकड़ की देख—रेख करने के लिये कोई अन्य वारिस अथवा सक्षम व्यक्ति नहीं था और मंगलोबाई अकेली महिला होने के कारण वादग्रस्त भूमि पर काश्तकारी करने और नवलसिंह की परविश करने में असमर्थ थी, जिस कारण जैरासी निवासी नरबद पिता पुसु से मंगलोबाई का पाठ विवाह कर दिया गया था और तत्पश्चात उक्त वादग्रस्त भूमि को नरबद तथा मंगलोबाई द्वारा मिलकर काश्त किया गया। नरबद तथा मंगलोबाई के पाठ विवाह से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई और इस हेतु नरबद द्वारा नवलसिंह को ही अपने पुत्र की भांति पाला—पोसा गया और नवलसिंह का विवाह सुखीबाई से कराया गया। वृद्धावस्था में नरबद की सेवा—जाफता नवलसिंह ने की और वर्ष 1972—73 में नरबदसिंह की मृत्यु होने पर मृतक संस्कार नवलसिंह के द्वारा किया गया, जिसमें मुंडन का

कार्य प्रतिवादी सुनीता, दुजियाबाई एवं तिजियाबाई के दादा मेहतापिसंह के द्वारा नवलिसंह के साथ करवाया गया। चूँकि मेहतापिसंह भूमिहीन व्यक्ति था, इस हेतु मुंडन कार्य में भाग लेने के कारण केवलारी ग्राम वासियों एवं पंचों के समक्ष नवलिसंह द्वारा 50 डिसमिल भूमि काश्त करने हेतु मेहतापिसंह को दी गई।

मैनेजर वा.सा.01 के अनुसार नवलसिंह का विवाह सुखीबाई से 16-होने के कारण उसका ब्रजलाल, खजानसिंह और बसंतीबाई, कांतिबाई, शांतिबाई के पिता संपत तथा प्रतिवादी गन्नोबाई के पति नाजरसिंह का जन्म हुआ। जिनका पालन-पोषण नवलसिंह द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को काश्त कब्जे में रखकर किया जाता रहा। नरबद की मृत्यु के पश्चात नवलसिंह द्वारा अनपढ़ एवं अशिक्षित होने के कारण राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज नहीं कराया जा सका और नवलसिंह की सन् 1983 में मृत्यु के पश्चात वादीगण तथा प्रतिवादी कमांक 01 के पिता एवं माता सुखीबाई द्वारा वादग्रस्त भूमि को काश्त कब्जे में रखकर जीवन यापन किया जाता रहा और इस तरह बालिग होने पर उनके द्वारा उक्त भूमि पर काश्त व कब्जा बनाये रखा गया। नरबंद की मृत्यु वर्ष 1972-73 में होने के पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 01 से 07 के पिता व पति नाजर तथा प्रतिवादी क्रमांक 12, 13 व 14 के दादा व पिता मेहतापसिंह द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिल जुलकर चोरी छिपे संपूर्ण भूमि को हड़पने की नियत से वादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया, जिसके पश्चात संशोधन पंजी क्रमांक 10/25 दिनांक 02.03.94 और 10/26 दिनांक 17.07.98 के द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा अपना नाम दर्ज करा लिया गया, जो कि कपटपूर्ण होने से प्रभावशून्य घोषित किये जाने योग्य है।

17— मैनेजर वा.सा.01 के अनुसार उनके पिता नवलिसंह अपने जीवनकाल में माता सुखीबाई के साथ उक्त भूमि पर कृषि कार्य में हाथ बटाते थे तथा माता सुखीबाई द्वारा पारिवारिक तौर पर बंटवारा कर वादग्रस्त भूमि पिता से प्राप्त होने वाले हक के कारण वादीगण को दी गई, जिस पर वर्तमान

समय तक काश्त कब्जा कर उनके द्वारा परिवार का पालन—पोषण किया जा रहा है। दिनांक 03.02.2014 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को खेत में कार्य करने से रोकने पर रिकार्ड देखने पर उन्हें पता चला कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण द्वारा अपना नाम दर्ज करा लिया गया है, जिसे शून्य घोषित किये जाने हेतु तथा अपने हक की घोषणा के लिये उनके द्वारा वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने वाद के समर्थन में वादग्रस्त भूमि के पांचसाला खसरा प्र. पी.01, संशोधन पंजी कमांक 10/25 दिनांक 02.03.94 प्र.पी.02, संशोधन पंजी कमांक 10/26 दिनांक 17.07.98 प्र.पी.03 तथा अधिकार अभिलेख वर्ष 1954—55 प्र.पी.04 प्रस्तुत किया गया है। उक्त कथनों का समर्थन वादी ब्रजलाल वा.सा.02, खजानसिंह वा.सा.03 तथा साक्षीगण गणेश मरकाम वा.सा.04 तथा बुद्धनसिंह सैयाम वा.सा.05 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किये है।

प्रतिवादी सुखचैन प्र.सा.०१ ने वादी साक्षियों के कथनों का खंडन कर अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि की स्व-अर्जित भूमि है, जिसपर अपने जीवनकाल तक नरबदसिंह नरबदसिंह द्वारा काश्त किया जाता रहा। नरबदसिंह ला-औलाद था, जिस कारण उसने प्रतिवादीगण गन्नोबाई, तिवारी, लीलावतीबाई, फूलवतीबाई, उर्मिलाबाई तथा उसके पिता नाजरसिंह को बाल-पोस रखा था, जो कि नवलसिंह का बड़ा पुत्र था। नाजरसिंह का विवाह भी नरबदसिंह द्वारा संपन्न किया गया तथा नरबदसिंह के जीवनकाल में ही नाजरसिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि पर काश्त करके अपने परिवार एवं नरबदसिंह का भरण—पोषण किया जाता रहा। नाजरसिंह के फौत होने के पश्चात वर्ष 2008 में उसके वारिस प्रतिवादीगण तथा मेहतापसिंह के वारिस प्रतिवादीगण का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुआ, तब से प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर काश्त किया जा रहा है। मंगलोबाई से नरबदिसंह का कोई पाठ विवाह नहीं हुआ था, अपितु वह नरबदसिंह के यहाँ बनी-मजदूरी करती थी और इसी कारण से ही गोंडी प्रथा अनुसार नाजरसिंह को नरबदसिंह द्वारा बाल-पोस रखा गया था।

सुखचैन प्र.सा.01 के अनुसार गोंड जाति में बाल-पोस रखने वाले की संपत्ति में पुत्र के समान हक, हिस्सा वैध उत्तराधिकार के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है, जिस कारण नाजरसिंह और मेहतापसिंह के वारिस प्रतिवादीगण उक्त भूमि के एक मात्र हकदार है। नरबदसिंह के फौत होने के 40 वर्ष पश्चात वादीगण द्वारा अवधि बाह्य वाद प्रस्तुत किया गया है तथा आक्षेपित संशोधन वादीगण की जानकारी में दर्ज हुए हैं, जो कि वैध होकर वादीगण पर बंधनकारक है। गोंड जाति में ला-औलाद व्यक्ति का सिर के बाल देकर काज किया करने वाले व्यक्ति का मृतक की संपत्ति पर अधिकार होता है। मेहतापसिंह ने नरबदसिंह का सगा भतीजा होने के कारण उसकी मृत्यु के समय सिर का बाल देकर काज किया की एवं नाजरसिंह के साथ मांदी किया था, इसलिये महतापसिंह का नाम, उसके पिता नाजरसिंह के साथ शामिल-शरीक दर्ज हुआ। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कोई अधिकार नहीं है। चूँकि वादग्रस्त भूमि खानदानी भूमि नहीं है और यदि कोई हक रहा भी हो तो वादीगण की जानकारी में वर्ष 1972-73 से लगातार शांतिपूर्वक कब्जे में होने के कारण हक परिपक्व हो जाने से प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के मालिक हो चुके है, जिस कारण वर्तमान वाद निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होंने जवाबदावा के समर्थन में भ—अधिकार अभिलेख वर्ष 1954—55 प्र.डी.01 प्र.डी.02, संशोधन पंजी कमांक 10 / 26 दिनांक 31.07.98 प्र.डी.03, संशोधन पंजी कमांक 11 / 59 दिनांक 02.03.94 प्र.डी.04, खसरा वर्ष 2016—17 प्र.डी.05 तथा मानचित्र प्र.डी.06, किश्तबंदी प्र.डी.07 एवं प्र.डी.08, खसरा वर्ष 1981 से 84–85 प्र.डी.09 तथा वर्ष 1986 से 1989–90 प्र.डी.10, संशोधन पंजी कमांक 05 व 06 दिनांक 15.03.2008 प्र.डी.11 प्रस्तुत किया है। उक्त कथनों का समर्थन प्रतिवादी साक्षी मोहपालसिंह प्र.सा.02 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किया है।

20— वादीगण के अनुसार वादग्रस्त भूमि मंगलोबाई से नरबदिसंह को प्राप्त हुई थी, जबिक प्रतिवादीगण के अनुसार वादग्रस्त भूमि नरबदिसंह की स्व—अर्जित भूमि थी। उभयपक्ष द्वारा वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेख वर्ष

1954—55 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जो कि प्र.पी.04 तथा प्र.डी.01 है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि नरबदिसंह की संपत्ति दर्शित है। उक्त दस्तावेज के अलावा प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के पूर्व स्त्रोत के संबंध में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तथा मौखिक साक्ष्य पुष्टिकारक नहीं है, जिससे उक्त संबंध में प्रतिवादीगण के अभिवचन वादीगण की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय प्रतीत होते हैं कि उक्त भूमि नरबद सिंह की स्व—अर्जित भूमि थी। जहाँ तक प्रश्न वादग्रस्त भूमि के पैतृक होने का है, उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में यह स्वीकृत किया गया है कि नरबदिसंह ला—औलाद था तथा मुख्य विवाद नरबदिसंह द्वारा लिए गए गोद पुत्र के संबंध में है।

वादी साक्षियों द्वारा अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में यह व्यक्त किया गया है कि नरबदसिंह द्वारा नवलसिंह को गोद पुत्र लिया गया था तथा उसकी सेवा एवं अंतिम संस्कार नवलसिंह द्वारा किया गया था। इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में नरबदसिंह द्वारा नाजरसिंह को गोद पुत्र रखना और उक्त कारण से ही नाजरसिंह के वारसानों का नाम वादग्रस्त भूमि पर दर्ज होना व्यक्त किया है। उभयपक्ष ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि वह गोंडी प्रथा से शासित होते हैं तथा यह भी स्वीकार किया गया है कि गोंडी प्रथा में ला-औलाद व्यक्ति द्वारा बोल-पोष रखे जाने की परंपरा है और ला-औलाद व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम संस्कार करने वाला व्यक्ति मृतक की संपत्ति का अधिकारी होता है। उभयपक्ष की साक्ष्य को देखते हुए उक्त संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसका प्रकरण में अभाव है और पक्षकारों की परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि पूर्व में गोदनामा के संबंध में किसी दस्तावेज की रचना की जाती रही होगी। नरबदसिंह की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में नाजरसिंह और मेहतापिसिंह का नाम किस प्रकार दर्ज हुआ, यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उभयपक्ष द्वारा तत्संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है। उभयपक्ष द्वारा

पश्चातवर्ती राजस्व प्रलेख प्रस्तुत किये गये है, जिनसे वादग्रस्त भूमि पर नाजरसिंह व मेहतापिसिंह तथा तत्पश्चात वारिसों का नाम दर्ज होना दर्शित है।

- वादीगण के अनुसार मेहतापसिंह को मुंडन कार्य में भाग लेने के 22-कारण ग्रामवासियों तथा पंचों के समक्ष 50 डिसमिल भूमि दान में दी गई थी, परंतु प्रकरण में वादीगण ने ऐसे किसी स्वतंत्र साक्षी के कथन कराए है, जिसने उक्त संबंध में स्पष्ट कथन किये हो। इसके विपरीत प्रतिवादीगण के अभिवचनों के अनुरूप राजस्व प्रलेखों में मेहतापसिंह का नाम दर्ज होना दर्शित है। वादीगण के लिए यह आवश्यक था कि वह राजस्व प्रलेखों में नाजरसिंह तथा मेहतापसिंह का नाम दर्ज होने से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करे। यद्यपि प्रतिवादीगण द्वारा भी उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, परंतु प्रतिवादीगण की कमजोरी का लाभ वादीगण को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सबूत का भार अंततः वादीगण पर ही है। समुचित साक्ष्य के अभाव में राजस्व प्रलेखों के आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि संभवतः नरबदसिंह द्वारा नाजरसिंह को गोद पुत्र रखा गया हो और नाजरसिंह तथा मेहतापसिंह द्वारा ही नरबदसिंह का अंतिम संस्कार किया गया होगा, जिससे नरबदसिंह की मृत्यु पश्चात नाजरसिंह व मेहतापसिंह का नाम वादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों पर दर्ज हुआ, क्योंकि मेहतापसिंह का नरबदसिंह का रिश्ते में भतीजा होना मैनेजर वा.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 12 में स्वीकृत किया है तथा उक्त दोनों के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं रहा।
- 23— वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य होने के संबंध में मात्र औपचारिक कथन किये गये हैं और कोई विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। राजस्व प्रलेखों से वादग्रस्त भूमि पर पूर्व से प्रतिवादीगण का आधिपत्य दर्शित होता है, जिससे यह सिद्ध नहीं होता कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य है। प्रकरण में वादीगण का आचरण ही यह दर्शित करता है कि उन्हें

वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के अधिकार की पूर्व से जानकारी थी और तत्संबंध में उन्होंने हक न होने के कारण पूर्व में कोई प्रयत्न नहीं किए। वादीगण मैनेजर वा.सा.01, ब्रजलाल वा.सा.02, खजानिसंह वा.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में निर्विवाद रूप से स्वीकार किया है कि नवलिसंह की मृत्यु पश्चात उसकी भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का समान रूप से नाम दर्ज हुआ तथा वर्तमान में सभी उक्त भूमि के बंटवारे पश्चात अपने—अपने हिस्से पर काबिज है। वादी मैनेजर वा.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 व 11 में कथन किए हैं कि नवलिसंह की मृत्यु पश्चात उसकी भूमि के सीमांकन तथा बंटवारे पश्चात सभी अपने हिस्से में काश्त करने लगे। यह संभव प्रतीत नहीं होता कि नवलिसंह की मृत्यु पश्चात वयस्क वादीगण को नरबदिसंह के स्वामित्व वाली वादग्रस्त भूमि के संबंध में ध्यान नहीं रहा होगा और सभी पक्षकार गलतफहमीवश सामूहिक रूप से काश्त कब्जे में रहे होंगे। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक संपत्ति नहीं है और ना ही उनका भूमि पर किसी प्रकार का अधिकार है, जिससे विवादक प्रश्न कमांक 01 एवं 02 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न कमांक-03

24— विरोधी आधिपत्य हेतु व्यक्ति का दूसरे की संपत्ति पर उसकी जानकारी में उसके स्वत्वों को नकारते हुए अबाध शांतिपूर्ण आधिपत्य आवश्यक है। पूर्व की विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर नाजरसिंह व मेहतापसिंह तथा पश्चात में उनके वारिसों का अधिकार रहा है तथा उनके द्वारा उक्त अधिकार के अनुशरण में वादग्रस्त भूमि पर काश्त किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में स्वयं की भूमि पर विरोधी आधिपत्य का प्रश्न ही नहीं उठता, जिससे विवाद्यक प्रश्न कमांक—03 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न कमांक-07 का निष्कर्षः-सहायता एवं व्ययः-

25— उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहे है। परिणामस्वरूप वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है तथा निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है:—

अ— वादीगण वाद व्यय वहन करेंगे।

ब— अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा तालिका अनुसार जो कम हो वाद व्यय में जोड़ी जावे।

तद्नुसार उक्त आशय की आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

सही / —
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो
बैहर बालाघाट म.प्र.

'- सही / छाबड़ा) (अमनदीप सिंह छाबड़ा)
श वर्ग-दो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो
' म.प्र. बैहर बालाघाट म.प्र.